

नीग्रौ गांव, दियोसर तहसील,सिंगरौली जिला,मध्य पद्रेश में
प्रस्तावित 1320 मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट
एवं 2.0 एमटीपीए सिमेंट ग्राइंडिंग प्लांट के लिए
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

प्रयोजक :



जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड
जेए हाउस 63, बसंत लोक
वसंत विहार
नई दिल्ली

द्वारा तैयार:



विम्टा लैब्स लिमिटेड
प्लांट नं.142, आईडीए, फेज-II
चेरलापल्ली, हैदराबाद-500 051
www.vimta.com

नवंबर, 2008

नीग्री गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिशाली सारांश

1.0 परियोजना विवरण

1.1 परियोजना की पहचान एवं परियोजना प्रस्तावक

मेसर्स जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड(जेपीवीएल) का लगभग 6015 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नीग्री गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश में एक 1320 मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

जेपीवीएल जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जो भारत में एक अग्रगामी हैड्रोपॉवर एवं इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी और सीमेंट एवं पॉवर क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रही कंपनी है, की एक सहायक कंपनी है ।

1.2 स्थल की पर्यावरणीय व्यवस्था

प्रस्तावित संयंत्र स्थल की पर्यावरणीय व्यवस्था सारणी-1 में दी गई है । प्रस्तावित स्थल के आसपास 10कि.मी. की त्रिज्या का अध्ययन क्षेत्र मानचित्र चित्र-1 में दिया गया है।

सारणी-2
क्षेत्र की पर्यावरणीय व्यवस्था

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण															
1	संयंत्र का स्थान	नीग्री गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश															
2	संयंत्र स्थल की दिशाएं	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">अक्षांश</th> <th style="width: 50%;">रेखांश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ए</td> <td>24°10'17''उ.</td> <td>81°54'36''पू.</td> </tr> <tr> <td>बी</td> <td>24°08'42''उ.</td> <td>81°53'54''पू.</td> </tr> <tr> <td>सी</td> <td>24°08'36''उ.</td> <td>81°55'22''पू.</td> </tr> <tr> <td>डी</td> <td>24°09'51''उ.</td> <td>81°55'18''पू.</td> </tr> </tbody> </table> (राखकुंड संयंत्र सीमा के अंदर स्थित है)		अक्षांश	रेखांश	ए	24°10'17''उ.	81°54'36''पू.	बी	24°08'42''उ.	81°53'54''पू.	सी	24°08'36''उ.	81°55'22''पू.	डी	24°09'51''उ.	81°55'18''पू.
	अक्षांश	रेखांश															
ए	24°10'17''उ.	81°54'36''पू.															
बी	24°08'42''उ.	81°53'54''पू.															
सी	24°08'36''उ.	81°55'22''पू.															
डी	24°09'51''उ.	81°55'18''पू.															
3	मौसमीय स्थितियां(आईएमडी, सिधी)																
क)	तापमान																
	औसत अधिकतम	44.8°से.(मई)															
	औसत न्यूनतम	8.0°से.(दिसंबर)															
ख)	औसत वार्षिक वर्षपात	1234.6मि.मी.															
ग)	सापेक्षिक आर्द्रता	20 से 49%															
घ)	प्रबल वायु दिशा	पूर्व-मानसून : प. एवं पू. वार्षिक : प. एवं पूर्व															
6	स्थल पर मौसमीय स्थितियां	1 मार्च से 31 मई 2007 के दौरान															
क)	तापमान	अधि. : 44.9°से एवं न्यून. : 16.6°से.															
ख)	सापेक्षिक आर्द्रता	अधि. : 44.9°से एवं न्यून. : 16.6°से.															
ग)	प्रबल वायु दिशाएं	प.उ.प, प. एवं पू.															
4	समुद्र सतह से ऊपर संयंत्र स्थल	समुद्र सतह से ऊपर 337 से 340-मी.															
5	संयंत्र स्थल टोपोग्राफी	सामान्यतः समतल															

नीग्रि गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

6	वर्तमान भूमि उपयोग	परियोजना स्थल का अधिकांश भाग बंजर भूमि एवं घास व झाड़ियां शामिल हैं
7	निकटतम राजमार्ग	एनएच-75(25कि.मी., उ.)
8	निकटतम रेलवे स्टेशन	महुआगांव(6.7कि.मी. द.द.पू.)
9	निकटतम हवाई अड्डा	इलाहाबाद(140-कि.मी., उ.)
10	निकटतम प्रमुख जल निकाय	गोपाद नदी(0.5-कि.मी., प.)
11	परियोजना के लिए अपेक्षित पानी के लिए निकटतम जल स्रोत	गोपाद नदी(0.5-कि.मी., प.)
12	निकटतम शहर/नगर	सिधी(25 कि.मी., उ.)
13	निकटतम गांव	नीग्रि (0.5 मि.मी.- उ.पू.)
14	पर्वत /घाटियां	10 कि.मी. की त्रिज्या में शून्य
15	पुरातत्वशास्त्रीय प्रमुख स्थल	15. कि.मी. की त्रिज्या में कोई नहीं
16	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम,1972 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र(बाघ रिजर्व, हाथी रिजर्व, जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य,सामुदायिक रिजर्व एवं संरक्षण रिजर्व)	15. कि.मी. की त्रिज्या में कोई नहीं
17	आरक्षित/संरक्षित वन	15 कि.मी. की त्रिज्या में वन ब्लॉक 1)तिकारी आर.एफ(0.7कि.मी., उ.प.) 2)दियोबन आर.एफ(2.4कि.मी., उ.पू.) 3)दारिया आर.एफ(2.2कि.मी., उ.प.) 4)हरबरो आर.एफ(5.0कि.मी., उ.) 5)कचोड़ा आर.एफ(7.5कि.मी., द.द.प.) 6)भारसेरा आर.एफ(10कि.मी.,पू.)
18	भूकंपीय जोन	आईएस 1893(भाग-1) :2002के अनुसार जोन -II
19	रक्षा संस्थापन	15 कि.मी. की त्रिज्या में शून्य
20	उद्योग	10 कि.मी. की त्रिज्या में शून्य
21	सामाजिक-आर्थिक पहलू	न्यूनतम आर एंड आर मुद्दे शामिल हैं

नोट : उल्लेखित सभी दूरियां वायवीय दूरियां हैं

स्रोत : ईआईई अध्ययन, विन्टा लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद

1.3 स्थान का विवरण


प्रस्तावित परियोजना के लिए पहचानी गई भूमि(433-हे.) अधिकांशतः बंजर भूमि है जिसमें घास व झाड़ियां मौजूद है। संयंत्र स्थल की भूमि समतल है जो समुद्र सतह से लगभग 337 से 340मी. के ऊपर है। भूकंपीय क्षेत्र दृष्ट्या यह भूकंप जोन-II के अंतर्गत है।

1.4 प्रस्तावित परियोजना का विवरण

प्रस्तावित परियोजना कोयले को मुख्य इंधन के रूप में उपयोग करते हुए 1320मे.वा. के पावर के उत्पादन के लिए प्रचालित की जाएगी। परियोजना में सुपर क्रिटिकल बाइलर्स स्थापित की जाएंगी। प्रस्तावित बिजली परियोजना का विवरण सारणी-2 में दिया गया है :

नीची गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ब्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश



चित्र-1

परियोजना स्थल के 10.कि.मी.की त्रिज्या में अध्ययन क्षेत्र

नीग्रो गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

सारणी-2
प्रस्तावित परियोजना की महत्वपूर्ण बातें

क्रमांक	लक्षण	विवरण
1	संयंत्र की क्षमता	1320 मे.वा.
2	संरूपण	2 X 660 मे.वा.
3	बाइलर्स का प्रकार	पल्चराइज्ड कोल फाइर्ड सुपर क्रिटिकल बाइलर्स
4	पॉवर निष्क्रमण	पीजीसीआईएल के सतना उप केन्द्र को दो आउटगोइंग फीडर लाइन्स द्वारा 400के.वी. स्तर पर
5	इंधन	कोयला
6	इंधन का स्रोत	अमेलिया(उ.) कोल ब्लॉक एवं डोंग्रीटाल-II कोल ब्लॉक
7	कोयले की आवश्यकता	90प्रतिशत पीएलएफ में 5.7 एमटीपीए
8	सल्फर तत्व	0.5%
9	कोयले में राख तत्व	25%
10	राख उत्पन्नता	1.71एमटीपीए
क	बाटम राख	0.34 एमटीपीए
ख	फ्लू राख	1.37 एमटीपीए
11	ईएसपी क्षमता	99.78%
12	चिमनी	275मी-ऊंचाई की एक बाई-फ्लू चिमनी
13	पानी की आवश्यकता	4500 घनमीटर प्रति घंटा

स्रोत : परियोजना रिपोर्ट

1.4.1 पॉवर निष्क्रमण

प्रस्तावित टीपीएस में प्लाट की बाउंडरी पर स्थित स्विचयार्ड से पीजीसीआईएल के 400 के.वी. सतना उप केन्द्र तक चार 400 के.वी. सिंगल सर्क्यूट लाइन्स होंगे । 400 के.वी सतना उप केन्द्र से इन लाइनों द्वारा स्टार्ट-अप पॉवर भी निकाला जाएगा ।

1.4.2 राख निर्माण एवं निपटान

अधिकतम बाटम राख निर्माण 18टीपीएच प्रति बाइलर होगा । इसी तरह अधिकतम फ्लू राख निर्माण 18टीपीएच प्रति बाइलर होगा । सेमी वेट एक्स्ट्राक्शन एवं बाटम राख के लिए निपटान एवं ड्राई एक्स्ट्राक्शन एवं फ्लू राख का ड्राई निपटान ।

नीग्रि गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिशाली सारांश

1.4.3 पानी की आवश्यकता

संपूर्ण परियोजना के लिए अपेक्षित कुल पानी गोपाद नदी से उपलब्ध होगी जो प्रस्तावित संयंत्र स्थल से लगभग 0.5कि.मी. होगी।(पॉवर प्लांट एवं सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के लिए जल संसाधन विभाग से 65.3 क्यूसेक्स पानी का आबंटन प्राप्त है ।)

1.4.4 उप नगर

आकलित की गई है कि प्रस्तावित 1320मे.वा. स्टेशन के प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रशासन के लिए कुल लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत होंगे। इसमें सुरक्षा एवं कैंटीन कर्मचारी शामिल नहीं है क्योंकि ये कार्य ठेके पर दिए जाएंगे। चूंकि यह क्षेत्र प्राथमिक तौर पर विकसित आधारभूत संरचना सहित एक ग्रामीण क्षेत्र है, प्रस्तावित केन्द्र के आवासीय उप-नगर की योजना बनाने के लिए लगभग 80प्रतिशत का संतृप्ति स्तर माना गया है। शेष कर्मचारी आसपास के गांवों/शहरों से आने की संभावना है। अतः 320 आवासीय मकान(ए,बी,सी,डी एवं ई प्रकार) निर्मित करने का प्रस्ताव है। उपनगर में एक निर्माता के/परियोजना हॉस्टल होगा जिसे अंत में प्रशिक्षु छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा।

2.0 पर्यावरण का विवरण

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन(ईआईए) के आधार अध्ययन के लिए संयंत्र की सीमा से 10कि.मी. की त्रिज्यीय दूरी को अध्ययन क्षेत्र के रूप में माना गया है। विभिन्न पहलुओं जैसे मौसम विज्ञान, परिवेशी वायु गुणवत्ता, सतही एवं भूमिगत पानी की गुणवत्ता, मृदा लक्षण, ध्वनि स्तर एवं पेड़-पौधे व जीव-जंतु आदि के लिए पर्यावरणीय अनुवीक्षण निर्दिष्ट स्थानों पर किया गया है और विभिन्न सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संगठनों से सेकंडरी डाटा संग्रहित की गई।

2.1 भूमि उपयोग

अध्ययन क्षेत्र की भूमि उपयोग पद्धति का आईआरएस-पी6-कोडेड एफसीसी ऑफ एलआईएसएस-III दिनांक 10 जनवरी 2008 से संग्रहित रिमोट सेंसिंग डाटा के विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया गया है। रिमोट सेंसिंग डाटा पर आधारित भूमि उपयोग सारणी-3 में प्रस्तुत किया गया।

नीग्रि गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिकांश सारांश

सारणी-3
रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों पर आधारित भूमि उपयोग विवरण

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रतिशत (%)
1	निर्मित क्षेत्र	1560.47	3.4
2	अवनत/आरक्षित/संरक्षित वन	12289.93	26.8
3	सघन/मिश्रित वन	4181.33	9.1
4	पौधारोपण	170.27	0.4
5	द्वि फसल/कृषियोग्य क्षेत्र	12545.27	27.4
6	अन्य कृषियोग्य क्षेत्र	7591.37	16.6
7	स्क्रब के बिना भूमि	6029.72	13.2
8	पत्थरी/बंजर भूमि	72.74	0.2
9	वॉटर बॉडी	1319.32	2.9
	कुल	45760.42	100.0

स्रोत : आईआरएस-पी6 :एलआईएसएस डाटा, 10 जनवरी 2008

2.2 मृदा की गुणवत्ता

मृदा की गुणवत्ता के आकलन के लिए संयंत्र स्थल की 10कि.मी. की त्रिज्या के अंदर कुल दस नमूने एकत्रित किए गए। पूर्व-मानसून ऋतु के दौरान नमूना कार्य किया गया।

उत्सर्जित मृदा की पीएच 6.9 से 7.9 के बीच पाई गई जिससे पता चलता है कि मृदा अपनी प्रकृति में थोड़ी-सी आम्लीय से सामान्य श्रेणी में है। नैट्रोजन मूल्य 5.6-164.5 कि.ग्रा/हे. के बीच है। अध्ययन क्षेत्र में नैट्रोजन तत्व बहुत कम से उत्तम श्रेणी के अंतर्गत है। फास्परस मूल्य 79.8 से 153.1कि.ग्रा/हे. के बीच है जिससे पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में फास्परस तत्व 'पर्याप्त' से 'पर्याप्त से अधिक' श्रेणी के अंतर्गत है। पोटाशियम मूल्य 57.3-216.2कि.ग्रा/हे. के बीच है। अध्ययन क्षेत्र में पोटाशियम तत्व 'कम से पर्याप्त' श्रेणी के अंतर्गत है।

2.3 मौसम विज्ञान

स्थल की निर्दिष्ट डाटा को रिकार्ड करने के लिए विभिन्न मौसम विज्ञान के पहलुओं हेतु स्थल पर अनुवीक्षण कार्य किए गए। पूर्व मानसून सत्र को प्रतिनिधित्व करने वाली अवधि 1 मार्च 2007 से 31 मई 2007 तक निरंतर प्रत्येक घंटे में डाटा संग्रहित की गई। अध्ययन अवधि के दौरान रिकार्ड की गई अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 44.9⁰से. एवं 16.6⁰से. है। सापेक्ष आर्द्रता 24% से 50% के बीच पाई गई। प्रबल वायु अधिकांशतः प.उ.प.(17.4%) एवं प.(11.7%) दिशा में है।

नीची गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

2.4 परिवेशी वायु गुणवत्ता

अध्ययन क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता की आधार स्थिति स्थापित करने के लिए 8 स्थानों पर वायु गुणवत्ता का अनुवीक्षण किया गया। पूर्व-मानसून सत्र को शामिल करने के लिए मार्च से मई 2007 के दौरान अनुवीक्षण कार्य किया गया है। अनुवीक्षित परिवेशी वायु गुणवत्ता का सार सारणी-3 में दिया गया :-

सारणी-3

अध्ययन क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता का सार

ऋतु	टीएसपीएम	आरपीएम	एसओ ₂	एनओ _{एक्स}
पूर्व-मानसून 2008	40.5-78.6	13.4-29.1	4.0-7.2 से कम	5.1-8.8

व्यक्त की गई सांद्रताएं माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है :

अनुवीक्षित डाटा के परिणाम उल्लेख करते हैं कि सामान्यतः क्षेत्र की परिवेशी वायु गुणवत्ता गतिविधियों के वर्तमान स्तर के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में ग्रामीण/आवासीय निर्देशों की पुष्टि करती हैं ।

2.5 पानी की गुणवत्ता

आकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र के अंदर पांच भूमिगत पानी के नमूनों एवं पांच सतही पानी के नमूनों पर विचार किया गया। पानी के नमूने पूर्व-मानसून सत्र के दौरान एकत्रित किए गए (2007)

सतही पानी की गुणवत्ता

संग्रहित पानी के नमूनों की पीएच 6.9 से 7.6 के बीच है, कंडक्टिविटी 80 एवं 205 माइक्रोसीमेन्स प्रति ली. के बीच पाई गई । द्रवीभूत आक्सीजन 6.0 से 6.4 मि.ग्रा प्रति लीटर पाई गई है । कुल कठोरता 28 से 76मि.ग्रा प्रति लीटर पाई गई । कुल आम्लीय मूल्य 26 से 96मि.ग्रा प्रति लीटर पाई गई । भारी धातु सांद्रताएं निर्धारित सीमाओं के अंदर पाई गई ।

उपर्युक्त परिणामों के आधार पर सिद्ध हुआ है कि नमूनों के अधिकांश प्राचल सतही जल के लिए निर्धारित आईएस :2296की पुष्टि करते हैं । सतही पानी की गुणवत्ता से कोई औद्योगिक प्रदूषण को नहीं दर्शाती है ।

भूमिगत पानी की गुणवत्ता

संग्रहित पानी के नमूनों की पीएच 6.9से 8.0 के बीच है । कंडक्टिविटी 248 एवं 524 माइक्रोसीमेन्स प्रति से.मी. के बीच पाई गई । कुल कठोरता 12 से 198मि.ग्रा प्रति लीटर पाई गई । फ्लूराइड 0.1 से 1.0 मि.ग्रा प्रति ली. पाई गई । सोडियम एवं पोटेशियम सांद्रताएं क्रमशः 13.7 से 39.2 मि.ग्रा प्रति ली. एवं 0.1 से 33.2 मि.ग्रा प्रति ली.के बीच हैं। क्लोराइड एवं सल्फेट 9.9-36.9 मि.ग्रा प्रति ली. एवं 0.4-9.4 मि.ग्रा. प्रति ली. के बीच पाई गई है। टीडीएस 132-304 मि.ग्रा प्रति ली. पाई गई ।

नीली गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

भूमिगत पानी की गुणवत्ता के आधार पर सिद्ध हुआ है कि सभी प्राचल आईएस :10500 के मानकों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हैं । अतः भूमिगत पानी परंपरागत उपचार के बाद पीने योग्य पाया गया है।

2.6 परिवेशी ध्वनि स्तर

अध्ययन क्षेत्र में 10 स्थानों पर ध्वनि अनुवीक्षण किया गया है । आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय और रात्रि के समय के ध्वनि स्तर क्रमशः 48.3 से 51.1डीबी(ए) और 43.6 से 47.1डीबी(ए) के बीच पाए गए । सामान्यतः ध्वनि स्तर आवासीय क्षेत्रों के लिए स्वीकार्य स्तरों के अंदर पाए गए।

2.7 पेड़-पौधे एवं जीव-जंतु

लगभग 330 पौध जातियां पाई गईं और ये सामान्यतः इस क्षेत्र में बढ़नेवाली पौध जातियां हैं। सिधी के वन विभाग के अभिलेखों , साहित्यिक सर्वेक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में कोई हानिकारक, संकटशील एवं संरक्षित पौध जातियां नहीं पाई गयीं । प्राथमिक सर्वेक्षण अध्ययन किए गए और लगभग अध्ययन अवधि के दौरान 80 जंतु जातियां पाई गयीं । अध्ययन अवधि के दौरान 42 पक्षी जातियां, 7 प्रकार की रेंगनेवाली प्राणी, 10 प्रकार की तितलियां, 2 प्रकार के उभयचर एवं 19 प्रकार की स्तनधारी जंतु रिकार्ड किए गए और प्रमुख जंतु जातियां तिकारी आरक्षित वन क्षेत्रों में ही प्रतिबंधित हैं। 10कि.मी. की त्रिज्यीय क्षेत्र में दो जातियां अनुसूची-1 से संबद्ध पायी गयी हैं।

2.8 सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण

2001 की जनगणना के अनुसार प्रस्तावित संयंत्र की परिधि से 10 कि.मी. की त्रिज्यीय दूरी के अध्ययन क्षेत्र में 58562 की आबादी निवासरत है। अध्ययन क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं क्रमशः 51.4% और 48.6% हैं । अध्ययन क्षेत्र में औसत मकान आकार, प्रति मकान में 4.9 व्यक्ति हैं । अध्ययन क्षेत्र में 11.3% की आबादी अनुसूचित जाति(एससी) के हैं और 34.2% की आबादी अनुसूचित जनजाति(एसटी)के हैं। अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता दर 38.4% है । 2001 की जनगणना अभिलेखों के अनुसार कुल आबादी में मुख्य श्रमिक 27.7% है । कुल आबादी में सीमांत श्रमिक एवं गैर-श्रमिक क्रमशः 17.7% एवं 54.6% है।

3.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं प्रचालन चरणों के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव आकलित किए गए हैं और प्रभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रबंधन योजना विकसित की गई है ।

नीयूरी गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिकांश सांश

3.1 निर्माण-चरण के दौरान प्रभाव

निर्माण चरण के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव अल्प अवधि, अपनी प्रकृति में अस्थाई होंगे और ये परियोजना स्थल के अत्यंत समीप तक ही सीमित होंगे। इन गतिविधियों लिए अपेक्षित मेनपावर का नियोजन मुख्यतः समीपवर्ती गांवों से किया जाएगा।

3.1.1 भूमि पर्यावरण

प्रस्तावित 1320मे.वा. बिजली संयंत्र के लिए लगभग 433हे. की भूमि की पहचान की गई। लगभग 12.1हे. की भूमि राख निपटान के लिए उपयोग की जाएगी।

प्रस्तावित संयंत्र भूमि अधिकांशतः बंजर भूमि एवं सूखी एकल फसल कृषियोग्य भूमि है।

भूमि अधिकांशतः बंजर भूमि है और इसमें घास एवं झाड़ियां शामिल हैं और प्रस्तावित स्थल के अंदर कोई वन या पारिस्थितिकी संवेदनशील भूमि नहीं है। कोई आवासीय या निवासरत क्षेत्र अर्जित करने का प्रस्ताव नहीं है, अतः आवासीय क्षेत्रों की विस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल में कृषियोग्य क्षेत्र में कोई स्थापित सिंचित प्रणाली नहीं है और पूरी तरह वर्षा पर आधारित है। अतः कोई गंभीर कृषि उत्पादकता की हानि परिकल्पित नहीं है।

3.1.2 मृदा पर प्रभाव

सभी प्रमुख निर्माण गतिविधियों के फलस्वरूप क्षेत्र की मृदा में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे। उत्खनन से ऊपरी मृदा का क्षरण होगा और उसकी कुछ हद तक हानि होगी। ऊपरी मृदा के विध्वंसन के कारण उर्वरता में कमी आएगी और वानस्पतिक परत हटाने सहित मृदा क्षरण से संबद्ध कुछ हानियां भी होंगी।

झंझावातों के दौरान कुछ उत्खनित मृदा एवं रेत आदि जैसी निर्माण सामग्री हवा में उड़गी और परियोजना स्थल के आसपास बिखरेगी। कुछ सामग्री मृदा में गिरने की भी संभावना है और अंतर-कणीय प्रांतों में बाधा पड़ेगी। तथापि, ऐसे प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त व समुचित मृदा संरक्षण उपाय किए जाएंगे। वनस्पति परत का प्रतिस्थापन पौधारोपण एवं घास की थिगलियों से किया जाएगा। अतः आसपास के क्षेत्र में मृदा पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

3.1.3 वायु गुणवत्ता पर प्रभाव

निर्माण अवधि के दौरान स्थल में उपकरणों के चलन, लेवलिंग, ग्रेडिंग एवं एर्थवर्क, बुनियादी कार्यों के दौरान धूल उत्सर्जन एवं वाहनों से निकलनेवाले उत्सर्जन ओर निर्माण चरण के दौरान लगाए गए उपकरण आदि उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं। इनके कारण एसओ₂, एनओ_{एक्स}, एसपीएम एवं सीओ के स्तरों में कुछ हद तक वृद्धि होगी। यह

प्रभाव अल्प अवधि का होगा और परियोजना की सीमा के अंदर ही सीमित होगा और संयंत्र सीमाओं से बाहर नगण्य होगा। यह प्रभाव तथापि पलटावी, नगण्य व अस्थाई होंगे। वाहनों एवं निर्माण उपकरणों के उचित रखरखाव से गैसीय उत्सर्जनों के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। सड़कों एवं निर्माण स्थल पर पानी के छिड़काव से क्षणिक धूल का नियंत्रण होगा।

3.1.4 पार्थिव पारिस्थितिकी पर प्रभाव

परियोजना स्थल में प्रारंभिक निर्माण कार्यों में भूमि स्वीकृति भी शामिल है। निर्माण के दौरान वनस्पति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के मूल्यां को सुधार करने और निर्माण के दौरान उत्पन्न क्षणिक उत्सर्जन को दूर करने के लिए ग्रीनबेल्ट का चरणबद्ध रूप से विकास किया जाएगा।

मृदा से वनस्पति के हटाने एवं ऊपरी मृदा को ढीला करने से सामान्यतः मृदा क्षरण होगा। तथापि ऐसे प्रभाव परियोजना स्थल तक सीमित होंगे और पेविंग और पानी के छिड़काव के कारण इन्हें न्यूनतम किया जाएगा।

स्थल पर अधिक संख्या में परिपक्व वृक्ष नहीं हैं। तथापि, संयंत्र सुविधाओं के आसपास में ग्रीनबेल्ट का विकास किया जाएगा। मौजूदा वृक्षों को यथासंभव संरक्षण किया जाएगा। अतः पार्थिव पारिस्थितिकी पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

3.1.5 सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

परियोजना से जहां तक संभव हो स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

3.2 प्रचालन चरण के दौरान प्रभाव

3.2.1 मृदा पर प्रभाव

मृदा पर बिजली संयंत्र के अधिकांश प्रभाव निर्माण चरण तक सीमित है जो प्रचालन चरण के दौरान स्थिर होंगे। ऊपरी मृदा पर प्रभाव प्रस्तावित मुख्य संयंत्र क्षेत्र तक सीमित की जाएगी।

3.2.2 जल पर्यावरण पर प्रभाव

राख निपटान प्रणाली में लगभग सीटीबीडी के 100घन मीटर प्रति घंटा पानी का उपयोग किया जाएगा। राख निपटान प्रणाली के लिए 100 घन मीटर प्रति घंटा, सर्विस वॉटर के रूप में 40 घन मीटर प्रति घंटा एवं पंक के रूप में 116 घन मीटर प्रति घंटा पानी का उपयोग किया जाएगा। शेष 567 घन मीटर प्रति घंटा पानी गार्ड पांड में भेजा जाएगा। अतः शून्य डिसचार्ज अवधारणा का पालन किया जाएगा।

परियोजना क्षेत्र में झंझावतों के पानी(स्टोर्म वाटर) को स्टोर्म वाटर निकासियों द्वारा स्टोर्म वाटर रिजर्वायर में संग्रहित किया जाएगा। भंडारित स्टोर्म वाटर का उपयोग संयंत्र के प्रचालन में किया जाएगा । फलस्वरूप स्वच्छ जल का संरक्षण होगा।

विक्षालन को रोकने के लिए राख कुण्ड के निचला भाग और किनारों को पर्याप्त ढंग से कसा जाएगा। प्रवाहित पानी को संग्रहित करने के लिए और कुण्ड में प्रवाहित पानी को रोकने के लिए कुण्ड में मालाकृत निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

3.2.3 ठोस अपशिष्ट निर्माण का प्रभाव

प्रस्तावित कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र से उत्पन्न होने वाली मुख्य ठोस अपशिष्ट राख है । 5.7 एमटीपीए के कोयल खपत को राख निर्माण के आकलन के लिए आधार बनाया गया है। लगभग 1.37एमटीपीए फ्लाई राख एवं 0.34 एमटीपीए बॉटम राख उत्पन्न होगा।

फ्लाई राख बिजली संयंत्र के बगल में स्थित सिमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में अंशतः उपयोग किया जाएगा। शेष फ्लाई राख का जेपी ग्रुप के अन्य सिमेंट संयंत्रों में उपयोग किया जाएगा। बॉटम राख का निपटारा पाइपलाइन द्वारा गीली गारा के रूप में किया जाएगा।

मलजल उपचार संयंत्र से निकलने वाले पंक को सुखाया जाएगा, कृमि सम्मिश्रण किया जाएगा और इसे ग्रीनबेल्ट अनुरक्षण के लिए खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। कैटीन/सफाई जल का सम्मिश्रण किया जाएगा और इसे ग्रीनबेल्ट विकास में खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा।

3.2.4 ध्वनि पर्यावरण

प्रस्तावित बिजली संयंत्र में कूलिंग टावर एवं बाइलर्स के साथ-साथ पंप, कंप्रेसर आदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले मुख्य स्रोत हैं। इन एककों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि के स्तर 80-90डीबी(ए) के बीच होंगे।

3.2.5 जलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव

बहिःस्रावों को किसी प्रवाह में डिसचार्ज करना प्रत्याशित नहीं है। अतः प्रस्तावित बिजली संयंत्र का जलचर स्रोतों पर कोई प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

3.2.6 आरक्षित/संरक्षित वन पर प्रभाव

पारिस्थितिकी पर प्रभाव प्रस्तावित बिजली संयंत्र के प्रचालन के दौरान उत्पन्न वृद्धिगत गैसीय सांद्रताओं और ध्वनि के कारण होगा।

नीग्री गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

संरक्षित वनों पर वायु उत्सर्जनों के प्रभाव

आरक्षित वनों पर प्रभाव की गणना आरक्षित वनों के ऊपर एसओ₂ एवं एनओ_{एक्स} की बढ़ती सांद्रताओं के आधार पर की गई है। आरक्षित वनों पर आकलित वृद्धिगत सांद्रताओं से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र में आरक्षित वनों पर बहुत कम प्रभाव होंगे।

जीव-जंतु पर ध्वनि स्तरों के प्रभाव

संयंत्र सीमा में आशंकित वृद्धिगत ध्वनि स्तर 30 से कम से 32डीबी(ए) के बीच होंगे और जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी ध्वनि स्तर कम होगा। अतः आसपास के जीव-जंतु पर ध्वनि प्रभाव नगण होगा।

3.2.7 मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

वायु उत्सर्जनों से प्रभाव नगण्य होगा क्योंकि चिकनी की डियाजन एवं मौसमीय स्थितियां इस प्रकार हैं कि भविष्य में प्रस्तावित सुविधा के साथ-साथ वर्तमान में भी परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता की सीमाओं के अंदर ही होगी।

3.2.8 लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रभाव

प्रक्रिया प्रचालनों से अपशिष्ट सामग्री(चिमनी के उत्सर्जन, अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट) के डिसचार्ज से लोक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव हो सकते हैं। परंतु प्रस्तावित संयंत्र के संदर्भ में अपशिष्ट उत्पादों के डिसचार्ज से प्रभाव नगण्य होने की संभावना है क्योंकि परिवेशी वायु, जल एवं मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम परिकल्पित है।

संयंत्र में उपलब्ध प्रभावात्मक सुरक्षा प्रणाली एवं सुरक्षा प्रबंधन के कारण आशंकित है कि लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत कम होंगे।

समग्र रूप से, प्रस्तावित परियोजना की गतिविधियों से लोक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव नगण होगा।

4.0 पर्यावरण प्रबंध योजना

4.1 निर्माण चरण के दौरान पर्यावरण प्रबंध योजना

4.1.1 वायु गुणवत्ता प्रबंधन

स्थल विकास, ग्रेडिंग एवं वाहनों के ट्रैफिक के कारण एसपीएम एवं एनओएक्स सांद्रताओं में वृद्धि होगी। इन प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सिफारिश किए गए निवारक उपाय निम्नवत हैं :

- निर्माण क्षेत्र में पानी का छिड़काव
- मुख्य पहुँच सड़क का डामरीकरण
- वाहनों एवं निर्माण उपकरणों का समुचित रखरखाव
- ग्रीनबेल्ट के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में वृक्षारोपण

4.1.2 जल गुणवत्ता प्रबंधन

प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए बहिःस्राव पानी से ठोस पदार्थों के जमाव के लिए सेडिमेंटेशन टैंक, उपकरण अनुरक्षण केन्द्र पर तेल और ग्रीस ट्रेप, श्रमिक कॉलोनी से सफाई अपशिष्टों को उपचार करने के लिए सेप्टिक टैंक, एवं ग्रीनबेल्ट के विकास के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग करना आदि निवारक उपाय सिफारिश किए गए ।

4.1.3 ध्वनि स्तर प्रबंधन

निर्माण उपकरण के प्रचालन एवं वाहनों के ट्राफिक के कारण ध्वनि स्तरों में वृद्धि हो सकती है। इसे दूर करने के लिए सिफारिश किए गए उपायों में वाहनों एवं निर्माण उपकरणों की अच्छी रख-रखाव एवं निर्माण गतिविधियों को दिन के समय तक ही सीमित करना शामिल हैं । ध्वनि को कम करने के लिए संयंत्र सीमा के आसपास वृक्षारोपण किया जाएगा। श्रमिकों को इयरप्लग एवं इयरमफ्स की व्यवस्था की जाएगी।

4.1.4 पारिस्थितिकी प्रबंधन

निर्माण के दौरान संयंत्र के परिसर में वनस्पति को साफ करना पड़ेगा। पेड़ कटाई को न्यूनतम स्तर तक रखा जाएगा। वर्तमान में परिपक्व वृक्षों का प्रतिरोपण किया जाएगा और इन्हें ग्रीनबेल्ट विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में प्रतिरोपित किया जाएगा। प्रति हे. 1500 वृक्षों की वनस्पतिक सांद्रता के साथ ग्रीनबेल्ट का विकास किया जाएगा।

4.2 प्रचालन चरण के दौरान पर्यावरण प्रबंध योजना

4.2.1 वायु प्रदूषण प्रबंधन

बिजली संयंत्र से निकलने वाले पार्थिव व चिमनी के उत्सर्जनों के कारण एसपीएम, एसओ₂ एवं एनओ_x सांद्रताओं में वृद्धि होगी। इन प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सिफारिश किए गए निवारक उपाय निम्नवत हैं :

- एसपीएम सांद्रताओं को 100मि.ग्रा/एन घनमीटर से कम रखने के लिए 99.78% से अधिक दक्षतावाली ईएसपी की स्थापना ।
- गैसीय उत्सर्जनों के विस्तृत विसर्जन के लिए 275मी. ऊंचाई की बाई-फ्लू चिमनी की व्यवस्था
- कच्ची सामग्री के भंडार यार्ड में जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था आदि।

नीग्री गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिशाली सारांश

4.2.2 जल प्रदूषण प्रबंधन

कूलिंग टॉवर में उत्पन्न पूरे अपशिष्ट पानी को प्रॉसेस एवं राख निपटान में री-सैक्लिंग की जाएगी। री-सैक्लिंग एवं पुनःउपयोग से पूर्व यथासंभव अपशिष्ट पानी का पर्याप्त उपचार किया जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान प्रवाहित पानी को संग्रहित कर भंडार करने के लिए पृथक रूप से स्टोर्म वॉटर प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी और स्वच्छ पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए इसे उपयोग किया जाएगा। समुचित रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा।

4.2.3 ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन

नियंत्रक प्राधिकारों द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तरों को पुष्टि करते हुए उपकरणों का डिजायन किया जाएगा। ध्वनि स्तरों को कम करने के लिए गहन ग्रीनबेल्ट का प्रावधान किया जाएगा।

4.2.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

कोयला आधारित थर्मल बिजली संयंत्र में ठोस अपशिष्ट राख के रूप में उत्पन्न होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :

- बिजली संयंत्र के परिसर के अंदर स्थित सिमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में फ्लाई राख का उपयोग किया जाएगा एवं शेष राख का उपयोग समीपवर्ती जेपी ग्रुप के सिमेंट संयंत्रों में उपयोग किया जाएगा।
- अतिरिक्त बॉटम राख का निपटान गारा निपटान प्रणाली का उपयोग करते हुए किया जाएगा।
- उपयोग किए गए अपशिष्ट तेल का एचएफओ या कार्य सौंपे गए प्राधिकृत री-सैक्लर्स के साथ बाइलर फर्नेस में प्रयोग किया जाएगा।
- मलजल उपचार संयंत्र(एसटीपी) में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के जैविक अंशों का उपयोग ग्रीनबेल्ट के विकास में खाद के रूप में किया जाएगा, एवं
- ठोस अपशिष्ट निर्माण पर डाटाबेस का जैसे परिमाण, गुणवत्ता एवं उपचार/प्रबंधन आदि का रखरखाव

4.2.5 राख का उपयोग

प्रस्तावित बिजली संयंत्र के परिसर के अंदर स्थित सिमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में फ्लाई राख का उपयोग किया जाएगा एवं शेष राख का उपयोग समीपवर्ती जेपी ग्रुप के सिमेंट संयंत्रों में उपयोग किया जाएगा।

राख को जहां तक हो सके विभिन्न निर्माण गतिविधियों में अधिकतम उपयोग किया जाएगा और इस प्रकार 100% उपयोग हासिल किया जाएगा।

4.2.6 ग्रीनबेल्ट का विकास

संयंत्र स्थल के आसपास में 50मी. से 100-मी. की चौड़ाई में ग्रीनबेल्ट का विकास किया जाएगा। बिजली संयंत्र काम्प्लेक्स के आसपास कुल ग्रीनबेल्ट लगभग 121.4हे.

नीची गांव, दियोसर तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 1320मे.वा. कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट एवं 2.0 एमटीपीए सीमेंट ग्रैडिंग प्लांट के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

अधिशाली सारांश

का होगा। 1500 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की वनस्पति सांद्रता के साथ ग्रीनबेल्ट का विकास किया जाएगा।

4.2.7 पर्यावरणीय उपायों के लिए लागत का प्रावधान

प्रस्तावित बिजली संयंत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण, उपचार एवं अनुवीक्षण प्रणालियों पर लगभग 250 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रस्तावित बिजली संयंत्र में और आसपास में ग्रीनबेल्ट के विकास पर प्रति वर्ष 1.9 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा।

5.0 उत्तर परियोजना पर्यावरण प्रबंधन अनुवीक्षण कार्यक्रम

परियोजना में संस्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के निष्पादन के मूल्यांकन के संदर्भ में उत्तर परियोजना पर्यावरणीय अनुवीक्षण महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय पहलुओं के नमूने एवं उनका विश्लेषण सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार होंगे।

6.0 जोखिम आकलन एवं आपदा प्रबंधन योजना

तेल के संभावित खतरा एवं उनके भंडारण, परिवहन एवं निपटान के दौरान उनके आकस्मिक निकलने के मामलों के परिणामों का आकलन आदि पहचाने गए और क्षति किस स्तर तक हो सकती है इसके मापण और प्रस्तावित सुविधों में सुरक्षात्मक सुधार हेतु सिफारिश सुझावित करने के लिए जोखिम आकलन किया गया है। समग्र रूप से सुरक्षा प्रणाली में सुधार एवं गंभीर दुर्घटनाओं के प्रभावों को दूर करने के लिए एमसीए विश्लेषण के आधार पर जोखिम दूर करने के उपाय और इंजीनियरिंग नतीजों को शामिल किया गया है।

संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए एक प्रभावात्मक आपदा प्रबंधन योजना(डीएमपी) तैयार की गई है। इस योजना में उत्तरदायित्वों और परिकल्पित विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं को सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उल्लेख किया गया है। सभी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों से सुपरिचित हैं और संप्रेषण माध्यम प्रभावात्मक ढंग से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.0 परियोजना के लाभ

प्रस्तावित 1320मे.वा. थर्मल बिजली संयंत्र के फलस्वरूप क्षेत्र में सामाजिक संरचना के उन्नयन के साथ-साथ आधारभूत संरचना में सुधार होगा। समीपवर्ती क्षेत्रों में निवासरत लोग परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

प्रस्तावित परियोजना से एक प्रमुख लाभ यह होगा कि बहुत अधिक संख्या में श्रमिकों को अस्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। बिजली संयंत्र का निर्माण चरण 45 महीनों तक चलने की संभावना है।

निर्माण चरण के दौरान लगभग तीन वर्षों के लिए प्रति दिन औसत लगभग 1000 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। प्रचालन अवधि के दौरान बिजली संयंत्र के लिए लगभग 400 व्यक्तियों की मेनपावर आकलित की गई है।